नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला नजारत शाखा)

संचिका सं0 ..../पत्रांक 329........./नजा0, दिनांक 17/6/2017

–: अल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण :–

लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नालन्दा जिला के बीस प्रखण्ड–सह–अंचल कार्यालयों में 05 के0वी0ए0 के भाड़े के जेनरेटर से विद्युत आपूर्ति करने के लिए दर निर्धारण हेतु इच्छुक फर्म दिनांक 27/06/17 के अप0 11.00 बजे तक जिला पदाधिकारी के जिला नजारत शाखा कार्यालय में निविदा दाखिल कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक 27/06/17 को ही अप0 03.00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खुलते समय निविदादाता स्वंय या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है।

निविदा की शर्त्ते

1. निविदादाता तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में रखेंगे। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं को ही वित्तीय निविदा में शामिल किया जायेगा।

2. तकनीकी निविदा के लिफाफे में निम्नलिखित कागजात रहेंगे :–

(क) वैट का निबंधन प्रमाण–पत्र।

(ख) विगत तीन वर्षो का आयकर रिटर्न।

(ग) अग्रधन के रूप में जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पदनाम से प्रति अंचल सह प्रखंड हेतु 5000/– (पांच हजार रूपये) की दर से कुल 100000/– (एक लाख रूपये) का बैंक ड्राफ्ट।

(घ) जेनरेटर से विद्युत आपूर्ति करने का न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र।

(ड़) निविदादाता का नाम काली सूची में दर्ज न होने का स्वंय का शपथ प्रमाण–पत्र।

(च) सर्विस टैक्स निबंधन प्रमाण पत्र अथवा जी0एस0टी0 प्रमाण–पत्र।

3. आपूतिकर्त्ता द्वारा जेनरेटर सेट के साथ–साथ ऑपरेटर एवं ईंधन की आपूर्ति भी की जायेगी।
4. 05 KVA जेनरेटर (ध्वनिरहित) का दर मासिक (30 दिन) के आधार पर अंकित करेंगे।
5. अनुबंध तीन वर्ष के लिए मान्य होगा। कार्य संतोषप्रद होने पर अवधि विस्तार किया जायेगा।
6. जिला स्तर पर न्यूनतम दर के आधार पर पैनल बनाकर रखा जायेगा।
7. सफल निविदादाता को एकरारनामा होने के पश्चात् 01 जुलाई, 2017 से जेनरेटर अधिष्ठापित एवं संचालित करना होगा।
8. चयनित निविदादाता को 24 घंटे निर्बाध विद्युत उपलब्ध करानी होगी जिसका तात्पर्य यह हुआ कि किसी दिन उन्हें अधिकतम 24 घंटे भी जेनरेटर चलाना पड़ सकता है एवं किसी दिन विद्युत आपूर्ति अच्छा होने पर कम अवधि के लिए चलाना पड़ेगा।
9. चयनित निविदादाता को कार्यस्थल के आंतरिक विद्युत संचरण व्यवस्था का रख–रखाव भी करना होगा एवं इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
10. भुगतान के पूर्व सभी करों की कटौती स्रोत पर की जायेगी एवं नियमानुसार जी0एस0टी0 लागु होने पर करों की कटौती की जाएगी।
11. स्थानीय फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।
12. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय रद्द करने का अधिकार जिला पदाधिकारी, नालन्दा के पास सुरक्षित रहेगा।
13. कार्यादेश निर्गत के पूर्व कर से संबंधित बकाया रहित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
14. निविदा में प्रकाशित सभी शर्तो को पूरा करना अनिवार्य होगा।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।

ई–मेल :–dm-nalanda.bih@nic.in
दूरभाष सं0 :–06112-235204(R), 235203(O)
फैक्स सं0 :– 06112-235205(R), 236854(O)
जिला बेवसाईट :–http://nalanda.bih.nic.in